षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० डा० अब्दुल गफूर, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री अमीत कुमार, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०	"राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 01-08 वर्ग तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और नि:शुल्क किया गया है, जिन्हें Bihar Text Book Cooperation के माध्यम से सरकार किताबें छपवाकर छात्रों को उपलब्ध कराती है । पिछले कई वर्षों से छात्रों को किताबें समय पर उपलब्ध नहीं करायी जाती रही है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती रही है । अब सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि छात्रों को पुस्तक के एवज में पुस्तक का निर्धारित मूल्य उनके बैंक खातों में विद्यालय के माध्यम से अंतरित किया जायेगा लेकिन यह निर्णय नहीं लिया गया है कि पुस्तकों का प्रकाशन कौन करेगा और पुस्तक कहाँ से उपलब्ध करायी जायेगी ? इससे छात्रों एवं अभिभावकों में संशय की स्थिति बनी हुई है । अत: सरकारी विद्यालय के 01-08 वर्ग के बच्चों के बीच पुस्तक वितरण के सम्बन्ध में ठोस निर्णय की घोषणा करने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० श्री नौशाद आलम, स०वि०स० श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स०	''बिहार राज्य में 341 मदरसे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से 1987 में निबंधित है तथा उक्त मदरसों के छात्र/छात्राएँ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होते आ रहे हैं । विभाग की लापरवाही के कारण उक्त 341 मदरसों को 2459 + 1 कोटि की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण उक्त मदरसे सरकारी अनुदान से वंचित रह गए हैं, जबकि ये मदरसे शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1090, दिनांक-29.11.1980 की सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं । अतएव जनहित में राज्य के 341 छूटे हुए मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/18-1776-1786 / वि०स०, पटना, दिनांक-26 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
26.03.2018

(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/18- 1776-1786 / वि०स०, पटना, दिनांक 26 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
26.03.2018

(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।